

20-03-18 आरक्षी केन्द्र मालनपुर की ओर से आरक्षक आसिफ कुरैशी नंबर द्वारा थाने के अपराध क्रमांक 222/14 अंतर्गत धारा 302, 307, 323, 294, 147, 148, 149 भादवि के अधीन अभियुक्त सुमेरलाल पुत्र लोकमन उर्फ लोकेराम जाटव उम्र 63 साल निवासी ग्राम गुरीखा हाल बी 21 विवेकनगर मेला ग्राउण्ड ग्वालियर के विरुद्ध यह पूरक अभियोगपत्र पेश किया गया। संज्ञान लिया गया।

अभियुक्त अभिरक्षा से प्रस्तुत, उसकी ओर से अधिवक्ता श्री के.पी. राठौर।

इस अपराध से संबंधित मूल अभियोगपत्र सत्रवाद क्रमांक 122/15 पर मानव द्वितीय अपर सत्र न्यायालय गोहद में संचालित होकर दिनांक 07.09.16 को निराकृत होना बताया गया है।

प्रकरण में दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को दी जावे।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री राठौर ने जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 दफ़्त पेश किया, नकल एडीपीओ को दी गयी।

प्रकरण उपार्पण तर्क व आवेदन के विचार हेतु थोड़ी देर बाद पेश हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त जेल से पेश, उसकी ओर से अधिवक्ता श्री के.पी. राठौर।

प्रकरण जमानत आवेदन पर विचार एवं उपार्पण तर्क हेतु नियत है।

जमानत आवेदन पर तर्क सुने गए।

अधिवक्ता श्री राठौर ने निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया, उसे असत्य आधारों पर लिप्त किया गया है। अभियुक्त न्यायालय की शर्तों का पालन करने को तत्पर है, अतः जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया।

एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का विरोध कर व्यक्त किया कि मामला गंभीर प्रकृति का है, अतः आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की।

आवेदन पर विचार किया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 302, 307, 323, 294, 147, 148, 149 के विरुद्ध अभियोगपत्र पेश किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

उभयपक्ष के उपार्पण तर्क सुने गए।

अभियुक्त के विरुद्ध यह पूरक अभियोग पत्र संहिता की धारा 302, 307, 323, 294, 147, 148, 149 के अधीन पेश किया गया है। उक्त धाराओं के अधीन विचारण का एकमात्र क्षेत्राधिकार मान० सत्र न्यायालय को है। अतः यह पूरक अभियोग पत्र विचारण हेतु मान० सत्र न्यायालय भिण्ड की ओर उपार्पित किया जाता है।

उक्त अपराध से संबंधित मूल सत्रवाद मान० द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के न्यायालय में सत्रवाद क्रमांक 122/15 पर लंबित होकर दिनांक 07.09.16 को निराकृत किया जाना बताया गया है। अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से सत्रवाद प्रकरण 122/15 में हुए निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है।

अतः अभियुक्त का मामला दफ़्तर की धारा 209 के आलोक में मान० सत्र न्यायालय भिण्ड को उपार्पित किया जाता है।

प्रकरण में द०प्र०सं० की धारा 207 के अधीन अभियोगपत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की प्रति प्रदान की जा चुकी हैं।

प्रकरण में निष्पादन लिपिक आगामी नियत दिनांक के पूर्व माननीय सत्र न्यायालय में प्रकरण को सुव्यवस्थित कर पहुंचाए जाने की व्यवस्था करें। साथ ही लोक अभियोजक को उपार्पण संबंधी सूचना भेजी जाए।

थाना प्रभरी तथा नायब नाजिर गोहद को निर्देशित किया जाता है कि वे जल्दशुदा संपत्ति मान० अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के न्यायालय में पेश करें।

अभियुक्त अभिरक्षा में हैं, अभिरक्षा अवधि का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना निष्पादन लिपिक सुनिश्चित करायें।

प्रकरण उपार्पण की सूचना मान० सत्र न्यायालय में संधारण की दृष्टि से किए जाने बावत् प्रकरण पत्रावली मय ज्ञापन के मान० सत्र न्यायालय भिण्ड को प्रेषित की जावे।

आगामी दिनांक को अभियुक्त आवश्यक रूप से ठीक 11:00 बजे माननीय अपर सत्र न्यायालय गोहद के समक्ष उपस्थित रहने के लिए आदेशित किए जाते हैं।

प्रकरण माननीय अपर सत्र न्यायालय गोहद के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक 03.04.18 को पेश हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)